

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम, 2023

संशोधन

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ-1-0001-2022-sec.1-उनसठ-(Ayu).—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 सितम्बर 2023 में अधिसूचित "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम 2023" के शीर्षक "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम 2003" के स्थान पर "मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक प्रवेश नियम 2023" पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.